RCMS No – 2017/00102

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नरेश कंवर बनाम राज्य

अपील इंतकाल प्रकरण सं. 58/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
14.07.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलाधीन इंतकाल की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न है। वकील अपीलांट के निवेदन पर अपील में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कहा है कि बैयनामें के आधार पर खरीद शुदा आराजी 1.262 है0 वाके चक 4 एल0पी0एम0 खाता सं0 21/22 मु0 नं0 32 प0 नं0 270/370 के कि0 नं0 1 ता 21 की 5.310 है0 नहरी भूमि में कि0 नं0 1 में 0.250 है0 व कि0 नं0 2 ता 5 में प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.162 है0 पर कब्जा मौके पर अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलाधीन इंतकाल में 0.002 है0 भूमि का कम अंकन कर इंतकाल तस्दीक किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर बैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावें। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करना चाहिये था इसलिए अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 244 में कुल भूमि 2.778 है0 कमाण्ड दर्ज है। बैयनामें के अनुसार अपीलार्थिया नरेश कंवर द्वारा मु0 नं0 32 पं0 270/370 के किला नं0 1 ता 21 की 5.310 है0 नहरी भूमि में से कि0 नं0 1 में 0.250 है0 व कि0 नं0 2 ता 5 प्रत्येक में 0.253 है0 (1.012) है0 भूमि कुल 1.262 है0 नहरी भूमि खरीद की गई है। इस बैयनामे के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन इंतकाल में प0 सं0 270/370 मु0 नं0 32 के किला नं0 1की कुल भूमि 0.250 है. के स्थान पर 0.248 है. दर्ज कर स्वीकृत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस किले में 0.002 है0 भूमि का कम अंकन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतःअपील अपीलार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप, अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 244 दिनांक 6–6–17 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, समेजाकोठी को आदेश दिये जाते हैं कि वाके चक 4 एल0पी0एम0 खाता सं0 21/22 प0 सं0 270/370 मु0 नं0 32 के किला नं0 1 की 0.250 है. भूमि बैयनामा दिनांक 16–5–17 के द्वारा अपीलार्थिया द्वारा खरीद शुदा है जबकि अपीलाधीन इंतकाल में कि0 नं0 1 की 0.248 है0 भूमि अंकित की गई है, के स्थान पर बैयनामा के अनुसार कि0 नं0 1 की खरीद शुदा 0.250 है0 भूमि अंकित कर नये सिरे से इंतकाल दर्ज कर पारित करें। शेष परिविष्ठियॉ बदस्तूर रहेंगी। आदेश की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी	

जिला

नरेश कंवर बनाम राज्य

अपील इंतकाल प्रकरण सं. 58/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
14.07.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलाधीन इंतकाल की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न है। वकील अपीलांट के निवेदन पर अपील में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कहा है कि बैयनामें के आधार पर खरीद शुदा आराजी 1.262 है0 वाके चक 4 एल0पी0एम0 खाता सं0 21/22 मु0 नं0 32 प0 नं0 270/370 के कि0 नं0 1 ता 21 की 5.310 है0 नहरी भूमि में कि0 नं0 1 में 0.250 है0 व कि0 नं0 2 ता 5 में प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.162 है0 पर कब्जा मौके पर अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलाधीन इंतकाल में 0.002 है0 भूमि का कम अंकन कर इंतकाल तस्दीक किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर बैयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावें। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करना चाहिये था इसलिए अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 244 में कुल भूमि 2.778 है0 कमाण्ड दर्ज है। बैयनामें के अनुसार अपीलार्थिया नरेश कंवर द्वारा मु0 नं0 32 पं0 270/370 के किला नं0 1 ता 21 की 5.310 है0 नहरी भूमि में से कि0 नं0 1 में 0.250 है0 व कि0 नं0 2 ता 5 प्रत्येक में 0.253 है0 (1.012) है0 भूमि कुल 1.262 है0 नहरी भूमि खरीद की गई है। इस बैयनामे के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन इंतकाल में प0 सं0 270/370 मु0 नं0 32 के किला नं0 1की कुल भूमि 0.250 है. के स्थान पर 0.248 है. दर्ज कर स्वीकृत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस किले में 0.002 है0 भूमि का कम अंकन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है। अतःअपील अपीलार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप, अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 244 दिनांक 6-6-17 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, समेजाकोठी को आदेश दिये जाते हैं कि वाके चक 4 एल0पी0एम0 खाता सं0 21/22 प0 सं0 270/370 मु0 नं0 32 के किला नं0 1 की 0.250 है. भूमि बैयनामा दिनांक 16-5-17 के द्वारा अपीलार्थिया द्वारा खरीद शुदा है जबकि अपीलाधीन इंतकाल में कि0 नं0 1 की 0.248 है0 भूमि अंकित की गई है, के स्थान पर बैयनामा के अनुसार कि0 नं0 1 की खरीद शुदा 0.250 है0 भूमि अंकित कर नये सिरे से इंतकाल दर्ज कर पारित करें। शेष परिविष्ठियॉ बदस्तूर रहेंगी। आदेश की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया। 14.7.17 (नखतदान बारहठ) अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	